


फर्द अहकाम

कामकुल बनाम लट्वाल

ताल्य

145/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/6/24	<p>पत्रावली मेरठ को प्रामो को कोर्ट से प्रत्यक्ष अन्तर्गत चार 136 मू-रखम अदिनिपण का पेस विषय प्रत्यक्ष पर प्रामो को देना गया प्रामो को कोर्ट से जेस प्रत्यक्ष अन्तर्गत चार 136 हवी कार विधा जाघा हो विषय विधी धूमना से लिखवापु जाकर शामिल पत्रावली विधा गया पत्रावली प्रोसल सुमार चोकर जे न्य हे का प्रोसल जमानल होखल दृष्टताए</p>	<p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              जयपुर द्वितीय (झांगानेर)           </p>



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 145/2024

निर्णय दिनांक : 07.06.2024

रामफूल पुत्र रामकिशन जाति जाट, निवासी ग्राम रामसिंहपुरा, तह0 सांगानेर जयपुर, राजस्थान ।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। (लैन्ड होल्डर)  
अप्रार्थी




प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व  
निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रामसिंहपुरा, पटवार हल्का रामसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान राज्य में खसरा नंबर 1859 रकबा 0.8700 हैक्टर स्थित हैं तथा भूमाप सन् 1983-84 के अनुसार उक्त खसरा नंबर 1859 का रकबा जमाबन्दी के अनुसार 0.8700 हैक्टर हैं तथा सन् 1984-85 के राजस्व मानचित्र में सहवन से उक्त खसरे के रकबे को कम कर दिया है और खसरा नंबर 1862 में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसको विधिक दृष्टि से दुरुस्त किया जाना आवश्यक है तथा उक्त त्रुटि को दुरुस्त कराने हेतु पूर्व में कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतःश्रीमान से निवेदन है कि संलग्न दस्तावेज की जाँच कर उक्त खसरा नंबर 1859 के राजस्व मानचित्र में रकबे को दुरुस्त करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने वहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि ग्राम

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रामसिंहपुरा मे स्थित खसरा नंबर 1859 रकबा 0.8700 हैक्टर संलग्न दस्तावेज की जाँच कर उक्त खसरा नंबर 1859 के राजस्व मानचित्र में रकबे को दुरुस्त करने की कृपा करें।

बहस प्रार्थी एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा, पटवार हल्का रामसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान राज्य में खसरा नंबर 1859 के राजस्व मानचित्र में रकबे को दुरुस्त किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



( हिम्मत सिंह )

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड रीजिस्ट्रार  
जयपुर मुद्रित विधि (सांगानेर)  
.जयपुर